(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–उमरिया

II/ निगरानी/उमरिया/भू.रा/2017/6033

बृजेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र श्री काशी प्रसाद मिश्रा
निवासी– ग्राम पतोर तहसील मानपुर
जिला–उमरिया (म.प्र.)

...... आवेदक

श्री .... को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 5-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1 म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला उमरिया (म.प्र.)

2 राजीव लोचन पुत्र श्री गयाप्रसाद
निवासी – ताला तहसील मानपुर जिला – उमरिया

...... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 102/स्व0निग/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, अनावेदक क्रमांक 2 राजीव लोचन को तत्कालीन नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 1388/अ–19(4)/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 29.09.1991 को ग्राम पतौर की आराजी नं. 19/2 एवं 20/2 रकवा क्रमशः 1.023 एवं 1.000 है0 का म.प्र. ग्रामो की दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदाय किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम सन् 1984 के अन्तर्गत भूमि स्वामी अधिकारी प्रदान किये गये थे। यह आदेश विधिवत् जांच पश्चात् पारित किया गया था।

2 यहकि, नायब तहसीलदार मानपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक म.प्र. शासन अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया।

3 यहकि, नायब तहसीलदार मानपुर के आदेश को अपर कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा स्वमेव निगरानी में प्रकरण क्रमांक 102/2013–14 पंजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की गयीं। जिसमें आवेदक को किसी भी प्रकार का सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया यहां तक कि उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि वह उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक एवं हितवद्ध पक्षकार था जिसे प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। क्योकि उपरोक्त भूमि मूल भूमि स्वामी राजीव लोचन द्वारा आवेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर दीं गयीं थीं। जिसके आधार पर उसका नामान्तरण राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2017/6033

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 102/स्व0निग/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	